अध्याय-6
निष्कर्ष तथा सिफारिशें

अध्याय 6 निष्कर्ष तथा सिफारिशें

6.1 निष्कर्ष

प्राकृतिक गैस की उर्वरक क्षेत्र में फीडस्टाक के रूप में अत्यन्त मांग है और यह विद्युत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ ईंधनों में से एक है। यह अन्य क्षेत्रों में भी उपयोगिता रखती है। इसलिए वहनीय मूल्य पर इसकी उपलब्धता अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखती है। देशी एनजी के आंबटन, उपयोग और सभी स्रोतों से एनजी की आपूर्ति में शामिल सभी एजेंसियों की महत्वपर्ण भूमिका है।

प्राकृतिक गैस की आपूर्ति तथा ढांचा विकास पर निष्पादन लेखापरीक्षा में पता चला:

- पाइपलाइन तथा आर-एलएनजी ढांचा परियोजनाओं के विकास के मानीटरन में भारत सरकार के अन्दर समन्वय की कमी थी जिसके परिणामस्वरूप प्राथमिकता क्षेत्रों यथा उर्वरक तथा विद्युत, को वहनीय मूल्य पर एनजी की अनुपलब्धता हुई।
- पाइपलाइन बिछाने बनाने, प्रचालन करने और विस्तार करने का अनुमोदन जारी करने के लिए पीएनजीआरबी को शक्ति देने वाले पीएनजीआरबी अधिनियम की धारा 16 की अधिसूचना, पात्रता शर्तें जिन्हें एक सत्व आर-एलएनजी टर्मिनल स्थापित करने के पंजीकरण हेतु पूरी करेगा निर्धारित करने वाले नियमों की अधिसूचना जैसे कार्यकारी निर्णय लेने में बीते समय के कारण ऐसी स्थिति हो गई जहाँ इस प्रयोजन हेतु निर्मित सांविधिक प्राधिकरण देश भर में पाइपलाइनों तथा आर-एलएनजी ढांचे के विकास को सुगम करने में एक लम्बे समय तक निष्प्रभावी रहा।
- दीर्घावधि आधार पर एनजी की सुनिश्चित आपूर्ति की अनुपलब्धता और अपर्याप्त पाइपलाइन संयोजन पुनरूद्धार के लिए पहचानी गई बन्द उर्वरक संयंत्रों का पुनरूद्वार न करने और कुछ संयंत्रों का परिवर्तन न करने की प्रमुख बाधाओं में एक रहा इसके कारण उत्पादन की हानि और यूरिया

उत्पादन लागत में वृद्धि के साथ आयातित यूरिया के लिए भारत सरकार पर आर्थिक सहायता भार में परिणामी वृद्धि हुई।

- विद्युत क्षेत्र को वहनीय मूल्य पर एनजी उपलब्धता की कमी के फलस्वरूप परिणामी उत्पादन हानि और वैकल्पिक ईंधन के उपयोग के कारण उच्च उत्पादन लागत के साथ गैस आधारित विद्युत संयंत्रों का कम उपयोग हुआ।
- एमओपीएनजी/डीओएफ में नियंत्रण प्रणाली/तन्त्र की स्थापना न करने के कारण विनियमित मूल्य पर आपूर्त एनजी का अप्राधिकृत प्रयोजनों हेतु विपथन हुआ।
- गेल द्वारा एनजी आपूर्ति ठेका प्रबंन्धन में प्रणाली चूकों के कारण निर्दिष्ट के अतिरिक्त प्रयोजनों हेतु प्रयुक्त एपीएम गैस के लिए बाजार मूल्य पर वसूली नहीं हुई।
- गेल के लिए घरेलू गैस की आपूर्ति पर विपणन लाभ रूपयो में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था जबकि केजी डी 6 का ठेकेदार अमरीकी डालर में विपणन लाभ प्रभारित कर रहा था। डीओएफ उर्वरक संयंत्रों को विपणन लाभ, जैसी ठेकेदार द्वारा मांग की गई, की अभी भी प्रतिपूर्ति नहीं कर रहा था और केजी डी 6 गैस पर विपणन लाभ के प्रति आर्थिक सहायता दावे 2009-10 से लम्बित रखे गए थे। यदि डीओएफ विपणन लाभ जैसा ठेकेदार द्वारा प्रभारित और उर्वरक संयंत्रों द्वारा अनुरोध किया जा रहा था, की प्रतिपूर्ति का निर्णय लेता है, तो ठेकेदार द्वारा मांगे गए विपणन लाभ और गेल को अनुमत विपणन लाभ के बीच अन्तर पर अतिरिक्त सहायता भार मई 2009 से मार्च 2014 तक ₹ 201.40 करोड़ होगा।

6.2 सिफारिशें

हम सिफारिश करते हैं कि:

1. एमओपीएनजी देश भर में एनजी पाइपलाइन तथा आर-एलएनजी परियोजनाओं का समय से समापन सुनिश्चित और निर्धारित करने और विलम्ब कम करने के लिए कार्यान्वयक एजेंसियों तथा प्राधिकरणों के परामर्श से स्पष्टतया परिभाषित उत्तरदायित्व केन्द्रों के साथ एक तन्त्र विकसित करे ताकि एनजी क्षेत्र में वांछित वृद्धि प्राप्त की जा सके।

2. एमओपीएनजी डीओएफ तथा एमओपी के समन्वय से अन्तर मंत्रालयी समिति गठित करने पर विचार करे जो सुझाव दे सके।

   (i) एनजी पाइपलाइन परियोजनाओं के कार्यान्वयन और उर्वरक संयंत्रों के पुनरूद्वार को समकालिक करने के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना ताकि यूरिया का आयात कम करने के अतिरिक्त फीडस्टाक के रूप में एनजी का लाभ इष्टतम प्राप्त किया जा सके।

   (ii) सम्भव मूल्य पर विद्युत क्षेत्र को एनजी/आर-एलएनजी मुहैया कराने के लिए अपेक्षित ढांचा बनाने के उपाय ताकि क्षेत्र में सृजित क्षमता का पर्याप्त रूप से उपयोग किया जा सके।

3. एमओपीएनजी विनियमित मूल्य पर आपूर्त एनजी के विचलन/दुरूपयोंग की खोज और रोकने के लिए नियंत्रण प्रणाली/तन्त्र लागू करने के लिए सभी कार्यान्वयक एजेंसियों को शामिल कर रूपात्मकताए तैयार करे। इस तरह तैयार रूपात्मकताओं में दर पर निर्णय भी शामिल करे जिस पर निर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त के लिए ऐसी एनजी उपयोग की वसूली की जाएगी चूंकि नवम्बर 2014 से एपीएम तथा गैर एपीएम मूल्य के बीच अन्तर नहीं होगा।

4. गेल एनजी आपूर्ति ठेका प्रबंन्धन प्रणाली की निर्णायक समीक्षा करे और विशेष उपाय जैसे एनजी के अन्त उपयोग का सत्यापन करने और अनुच्छेद 17, जो क्रेता विक्रेता के बीच आपसी सहमति से अपेक्षित के अतिरिक्त प्रयोजनों हेतु एनजी उपयोग करने की क्रेता को अनुमति देता हैं, की समीक्षा करने के लिए गेल को समर्थ बनाने के लिए गैस बिक्री तथा संचरण अनुबंध में खण्ड सम्मिलित करने आदि स्थापित करे जो इसे विनियमित मूल्य पर आपूर्त एनजी के अन्त उपयोग का पता लगाने और अप्राधिकृत प्रयोजनों के प्रति इसका विपथन रोकने के लिए इसे पर्याप्त रूप से शक्ति देगा।

5. एमओपीएनजी सुनिश्चित करे कि क्षेत्रों, जहाँ भारत सरकार आर्थिक सहायता वहन करती है, में उपयोग हेतु घरेलू स्रोत से एनजी की आपूर्ति हेतु समान कार्यप्रणाली अर्थात भारतीय रूपये में विपणन लाभ प्रभारित करना, अपनाई जाती हैं।

नई दिल्ली
दिनांक: 30 मार्च 2015

(प्रसेनजीत मुखर्जी)
उपनियंत्रक - महालेखापरीक्षक
एवं अध्यक्ष लेखापरीक्षा बोर्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 30 मार्च 2015

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक